के सामने प्लेस किया जाता है। यह जरूरी है क्योंकि यह आटोनोमस आर्गेनाइज़ेशन है और बाकायदा बोर्ड आफ गवर्नर्ज़ इस संगठन का है। इसको अगस्त 1990 में बोर्ड आफ गवर्नर्ज़ के सामने रखा गया क्योंकि आफ्टर आल उनको इस पर वियु लेना पड़ेगा। बोर्ड आफ गवर्नर्ज़ ने कमिश्नर को आथोराइज़ किया एक सब कमेटी सेट अप करने के लिए ताकि इनके इम्पलीमेंटेशन के वेज़ एंड मीन्ज़ देखे जा सकें इस सब कमेटी ने 1992 में अपनी रिपोर्ट दी और इम्पलीमेंटेशन के लिए इसके एक्शन प्वाइंट रिकार्ड किये गये। तब तक नया बोर्ड आफ गवर्नर्ज़ बन गया और 6-9-93 को उनके सामने रखा गया। नये बोर्ड आफ गवर्नर्ज़ ने डिसाइड किया कि इसको दोबारा से कमेटी को दिया जाए। वह यह डिसाइड करेंगे। इसमें हम कोई दखलअंदाजी नहीं कर सकते क्योंकि यह एक आटोनोमस बॉडी है।

After all, it is an autonomous Organisation with its own Board of Governors. If they so decide thai they want to send to another sub-committee, we cannot stop them from doing so. Therefore, a new sub-committee with Mr. Devinder Singh as Chairman has been constituted and they are expected to give their report. As I said in the beginning, in the next six months or so, the report will come and it should be placed before the Board of Governors and we hope that we will accept.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: How do you ensure it?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would say that the Minister has answered your question. She said that the Board of Governors has changed. So this hats happened. It) is an autonomous body. If they interfere in its affairs, then there will be a question as to why they are interfering and there are ulterior motives. That is why she has explained it to the House.

Now, the Question Hour is over.

Written Answers to Questions

बिहार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

*666. **श्री नागमणि** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया है जबकि बिहार से छोटे कई अन्य राज्यों में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार बिहार में कब तक एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) इस समय देश में 12 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो कि आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, मेघालय, पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना कुछ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अथवा केन्द्र-राज्य विचारों के अनुरूप की गई है।

1986 की शिक्षा नीति में, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने के बजाए मौजूदा संस्थानों में सुविधाओं के समेकन और विस्तार पर बल दिया गया है।

इसको दृष्टिगत रखते हुए, सरकार का बिहार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।